तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भारीलाल | भूरीदेवी 1123/2017 225	
28.12.17	अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। तामील रिपोर्ट होकर पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर करे। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पर समाअत की गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि एक सहखातेदार को उसकी कब्जे काश्त की आराजीयात के उपयोग-उपभोग से प्रतिबन्धित किया जाना विधि विरुद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित इकतरफा अपीलाधीन आदेश को व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 से 4 की अवहेलना करते हुये लगातार बढाया जा रहा है जो अनुचित है। अत: अपीलाधीन आदेश की क्रियान्विति स्थगित फरमाई जावे। हमने बहस अधिवक्ता अपीलार्थी पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण की इस स्टेज पर अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यो से सन्तुष्ट होकर एवं सहखातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बगैर उसके कब्जे काश्त की आराजीयात के उपयोग-उपभोग मे प्रतिबन्धित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होने से आदेश जेर अपील दिनांक 21/7/2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षो को सुनवाई का [illegible]	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मोतीलाल / कजोड़ी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कर अधिनस्थ न्यायालय मे नियत आगामी पेशी को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। अधिवक्ता अपीलार्थी को जरिये अधिवक्ता पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष नियत आगामी पेशी दिनांक 01/2/2018 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे। तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।	